

प्रेसनोट दिनांक 31.05.2022

1. दिनांक 30.05.22 को वादी श्री सतीश शुक्ला पुत्र जगदीश निरो शिव विहार थाना कोननगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक कुमार सोनी पुत्र सुभाष चन्द्र थाना हैदरगंज अयोध्या। आदि 05 नफर अभियोग द्वारा एक राय होकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कोननगर में मुआओसं 418/22 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 30.05.22 को वादी श्री अभिषेक पुत्र हौसिला प्रसाद निरो बछड़ा सुल्तानपुर थाना कोननगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अभिषेक पुत्र राजाराम निरो अज्ञात आदि 02 नफर व 01 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात अभियोग द्वारा एक राय होकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कोननगर में मुआओसं 419/22 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 30.05.22 को वादी श्री संदीप कुमार नायक पुत्र सुरेश चन्द्र निरो 10/13 सरोजनी नगर मार्ग हुसैनगंज लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि वाओसं १००५० ७०सीटी १८९२ का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की कार में टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना कोननगर में मुआओसं 200/22 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 30.05.22 को वादी उठनिरो श्री राजकुमार पटेल थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शोभाराम पुत्र स्वरो विश्वनाथ निरो भरतकुण्ड थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिरो अभियोग के कब्जे से 750 ग्राम अवैध गंजा बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मुआओसं 251/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एकट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 30.05.22 को वादी उठनिरो श्री शीतला प्रसाद मिश्र थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनमोहन यादव पुत्र सुरेन्द्रनाथ यादव निरो गंजा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिरो अभियोग के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मुआओसं 252/22 धारा 3/25 आम्सू एकट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 30.05.22 को वादी उठनिरो श्री जवाहर पाल थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विनय कुमार सिंह पुत्र राम कुमार सिंह निरो अंकारीपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिरो अभियोग के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मुआओसं 150/22 धारा 3/25 आम्सू एकट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 30.05.22 को वादी आबकारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कृष्णन जनपद अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि झब्बर पुत्र हूबलाल निरो बनगवां थाना महराजगंज अयोध्या। गिरो अभियोग के कब्जे से 10 लीलो कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मुआओसं 197/22 धारा 60 आबकारी अधियोग का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 30.05.22 को वादी आबकारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कृष्णन जनपद अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामप्रसाद पुत्र रामसुमिरन निरो रघुनाथपुर थाना महराजगंज अयोध्या। गिरो अभियोग के कब्जे से 10 लीलो कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मुआओसं 198/22 धारा 60 आबकारी अधियोग का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 30.05.22 को वादी काठो धर्मेन्द्र यादव थाना महराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रेम प्रकाश पुत्र रामगरीब निरो पकड़पुरवा थाना महराजगंज अयोध्या। गिरो अभियोग के कब्जे से 20 लीलो कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मुआओसं 199/22 धारा 60 आबकारी अधियोग का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 30.05.22 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र रामकुमार नि० फखरपुर थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मंशाराम पुत्र भागीरथ नि० फखरपुर थाना तारून अयोध्या |आदि 07 नफर अभिंगण द्वारा एक राय होकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 129 / 22 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 30.05.22 को वादी उ०नि० श्री चन्द्रशेखर सिंह थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्रभान वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा नि० इच्छौरी थाना तारून अयोध्या |गिर० अभिं० के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 131 / 22 धारा 3 / 25 आम्स॒ एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 30.05.22 को वादी श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र गोविन्द नि० उरुवा वैश्य थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय यादव पुत्र तिलक राम नि० तुलसी का पुरवा थाना कुमारगंज अयोध्या। वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मारकर घायल कर देना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 240 / 22 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 30.05.22 को वादी श्री बबलू पुत्र श्री मालिख नि० सरदारनगर सैधरी थाना सदर लखीमपुर खीरी द्वारा सूचना दिया गया कि यूपी 77ठी 5942 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की कार में टक्कर मारकर घायल कर देना तथा वाहन क्षतिग्रस्त कर देना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 124 / 22 धारा 279, 337, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 30.05.22 को वादी का० धर्मेन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बाबूलाल पुत्र माता प्रसाद नि० डूँढ़ी थाना खण्डासा अयोध्या |गिर० अभिं० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 122 / 22 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 30.05.22 को वादी का० अजय यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र कालीप्रसाद नि० पाराखानी थाना खण्डासा अयोध्या |गिर० अभिं० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 123 / 22 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।